

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1077 / 2024

दिनांक 16.03.2024

श्रीमती आमा गहलोत (RJ00937), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला) को दिनांक 26.03.2024 से 28.03.2024 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 23.03.2024 से 25.03.2024 एवं 29.03.2024 व 31.03.2024 के राजपत्रित अवकाशों एवं दिनांक 30.03.2024 के ऐच्छिक अवकाश व दिनांक 01.04.2024 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती गहलोत की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/106/2015/2243

दिनांक 16.03.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर को उनके पत्रांक 1128 दिनांक 17.02.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती आमा गहलोत (RJ00937), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला)।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला)।

सहायक रजिस्ट्रार